CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

गहलोत

शासन देश

11. 10. 06

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या-सा-4-393/दस-99-200/88
लखनऊ : दिनांक : 1 जुलाई, 1999

कार्यालय ज्ञाप

विषयः- सेवानिवृत्ति आदि मामलों में सरकारी सेवकों के अवकाश लेखों में जमा अर्जित अवकाश के बदले में धनराशि का नकद भुगतान।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्प्रति राज्य सरकार के सेवकों को अधिवर्षता पर सेवानिवृत्ति होने पर, सेवारत मृत्यु होने पर, निलम्बनाधीन रहते हुए सेवानिवृत्त होने पर, अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिये जाने पर, स्वेच्छया सेवानिवृत्ति ग्रहण करने पर, नोटिस अथवा नोटिस के बदले वेतन और भत्ते देकर अथवा नियुक्ति के निबन्धनों एवं शर्तों के अनुसार अन्यथा सेवा समाप्त कर दिये जाने पर, सेवानिवृत्ति के पश्चात् पुनर्योजन की समाप्ति पर, चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे सेवा करने के लिए पूर्णतया और स्थायी रूप से असमर्थ घोषित कर दिये जाने पर, अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले में नकद धनराशि के भुगतान की सुविधा कार्यालय ज्ञाप संख्या-जी -4-1002/दस-200-77, दिनांक 26 अप्रैल, 1978, संख्या-सामान्य-4-1327/दस-200-77, दिनांक 18 जून, 1979, संख्या-सामान्य-4-1687/दस-83-200/77-टी0सी0, दिनांक 25 जुलाई, 1983 तथा संख्या-सा-4-1283/दस-200/88, दिनांक 17 सितम्बर, 1988 में निहित शर्तों के अन्तर्गत 240 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन ग्राह्य है।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में वेतन समिति, उत्तर प्रदेश 1998 के सातवें प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय उपर्युक्त आदेशों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवकाश वेतन के समतुल्य नकद भुगतान अधिकतम 240 दिन के स्थान पर 300 दिन तक के अर्जित अवकाश तक सीमित रखने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

3- शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-1283/दस-200/88, दिनांक 17 सितम्बर, 1988 में सेवानिवृत्ति के दिनांक को अवकाश लेखे में जमा उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद धनराशि का आगणन निम्नलिखित सूत्र के अनुसार किये जाने की व्यवस्था है:-

$$\text{नकद समतुल्य} = \frac{\text{सेवानिवृत्ति के दिनांक को अनुज्ञेय वेतन एवं भत्ते}}{30} \times \text{240 दिन की अधिकतम सीमा के अधीन सेवानिवृत्ति के दिनांक को सम्बंधित सरकारी सेवक के अवकाश खाते में जमा अवशेष उपार्जित अवकाश के दिनों की संख्या।}$$

उक्त प्रस्तर-2 में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप अब 240 दिन के स्थान पर 300 दिन रख करके नकद समतुल्य का आगणन किया जाये।

4- यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

5- सम्बन्धित अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन किये जाने की कार्यवाही पृथक से की जायेगी।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

मु0 हलीम खाँ,
सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या-सा-4-393 (।)/दस-99-200/88 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

।- महालेखाकार, प्रथम तथा द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

3- सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

4- निदेशक वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, लखनऊ ।

5- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-।

6- सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 46 सा0वित्त-10-7-99-(612)-12,000 प्रतियां (इलै0/आफसेट) ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या सा–4–438/दस–2000–203-86

लखनऊ: दिनांक 3 जुलाई, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :–सेवानिवृत्ति के दिनांक को सरकारी सेवकों के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के बदले नकद धनराशि के भुगतान की स्वीकृति अधिकारों का प्रतिनिधायन।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–4–1130/दस–91–200-77, दिनांक 07 जनवरी, 1992 द्वारा राज्य सरकार के सेवकों को सेवानिवृत्ति पर उनके अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश (240 दिन की अधिकतम सीमा के प्रतिबन्ध के अधीन) की नकदीकरण स्वीकृत करने के अधिकार विभागाध्यक्षों को प्रतिनिधानित किये गये थे।

2—वेतन समिति उ० प्र० (1997) के सातवें प्रतिवेदन तथा उस पर लिये गये निर्णयानुसार सेवानिवृत्ति पर सरकारी सेवकों को अनुमन्य अवकाश नकदीकरण की सीमा को शासनादेश संख्या सा–4–393/दस–99–200-88, दिनांक 01 जुलाई, 1999 द्वारा 240 दिन से बढ़ाकर 300 दिन कर दिया गया है। अतः राज्यपाल महोदय राज्य सरकार के सेवकों को सेवानिवृत्ति पर उनके अवकाश लेखे में जमा 300 दिन तक के अर्जित अवकाश का नकदीकरण स्वीकृत करने का अधिकार विभागाध्यक्षों को सहर्ष प्रदान करते हैं।

3—ये आदेश दिनांक 01 जुलाई, 1999 से प्रभावी होंगे।

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव, वित्त।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

संख्या सा–4-438 (1)/दस–2000–203–86, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम एवं द्वितीय), उ० प्र०, इलाहाबाद।
2—शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव।
3—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्।
4—महामहिम राज्यपाल के सचिव।
5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ० प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी० एस० यू० पी०–उ० पी० 57 सा० वित्त—23-7-2000–(1037)—12,000– (कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4
संख्या सा-4-525/दस-96-201/76 टी.सी.
लखनऊ : दिनांक: 15 अगस्त, 1996

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-दो, भाग दो से चार में दिये गये फण्डामेण्टल्स में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1996

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1996 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-2(ब) का संशोधन

2- फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग दो से चार में दिये गये फण्डामेण्टल रूल्स में, नियम-81-ब में, उप नियम (2) में, बीच स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (दो) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(दो) इस नियम के अधीन तब तक कोई छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती है जब तक कि छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान न हो	(दो) इस नियम के अधीन प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा साठ दिन तक की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस अवधि से अधिक छुट्टी तब स्वीकृत की जा सकती है

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

जाय कि आवेदित छुट्टी की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने योग्य हो जाने की समुचित संभावना है ।
(सब्सीडियरी रूल-87 भी देखें)

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी की अपनी बीमारी के उपचार के दौरान मृत्यु हो जाती है और ऐसे सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा अवकाश अन्यथा देय हो तो छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करेगा ।

जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान न हो जाय कि आवेदित छुट्टी की समाप्ति पर सरकारी कर्मचारी के कार्य पर वापस आने योग्य हो जाने की समुचित सम्भावना है ।
(सब्सीडियरी रूलम-87 भी देखें)

प्रतिबन्ध यह है कि जब किसी सरकारी कर्मचारी की अपनी बीमारी के उपचार के दौरान मृत्यु हो जाती है और ऐसे सरकारी कर्मचारी को चिकित्सा अवकाश अन्यथा देय हो तो छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी चिकित्सा अवकाश स्वीकृत करेगा ।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र मिश्र)
प्रमुख सचिव

संख्या सा-4-525(1)/दस-96-201/76 टी.सी. तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, आडिट/लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

------3/-

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4
संख्या सा-4-525/दस-96-201/76 टी.सी.
लखनऊ : दिनांक: 15 अगस्त, 1996

अधिसूचना

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड-दो, भाग दो से चार में दिये गये फण्डामेण्टल में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1996

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश फण्डामेण्टल (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1996 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम-21-ब का संशोधन

2- फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग दो से चार में दिये गये फण्डामेण्टल रूल्स में, नियम-81-ब में, उप नियम (2) में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये खण्ड (दो) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(दो) इस नियम के अधीन तब तक कोई छुट्टी स्वीकृत नहीं की जा सकती है यहां तक कि छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान न हो	(दो) इस नियम के अधीन प्राधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सात दिन तक की छुट्टी स्वीकृत की जा सकती है। इस अवधि से अधिक छुट्टी तब स्वीकृत की जा सकती है

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

।2। समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
।3। समस्त वित्त नियंत्रक/लेखा संवर्ग के वरिष्ठतम अधिकारीगण ।
।4। सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
।5। सचिव, विधान सभा/परिषद्, विधान भवन, लखनऊ ।
।6। निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया विज्ञप्ति को प्रदेश गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करा दें ।

आज्ञा से,

।शिव प्रकाश।
संयुक्त सचिव ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

UTTAR PRADESH SHASAN

Vitta (Samanya) Anubhag - 4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. G-4-525/X-96-201/76 dated, 19 August, 1996.

NOTIFICATION

No.G-4-525/X-96-201/76

Dated Lucknow. 19 August, 1996

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Fundamental Rules contained in Financial Hand Book, Volume II, parts II to IV.

THE UTTAR PRADESH FUNDAMENTAL (FIRST AMENDMENT) RULES, 1996.

Short title and commencement

1-(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Fundamental (First Amendment) Rules, 1996.

(2) They shall come into force atonce.

Amendment of rule 81-B

2- In the Fundamental Rules contained in Financial Hand Book Volume II, Parts II to IV,

2/-

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

in rule 81-B, in sub-rule (2), for clause (ii) set out in Column-1 below, the clause as set out in column-2 shall be substituted, namely -

Column-1	Column-2
Existing clause	Clause as hereby substituted
(ii) No leave may be granted under this rules, unless the authority competent to sanction leave is satisfied that there is a reasonable probability that the government servant will be fit to return to duty on the expiry of the leave applied for. (See also Subsidiary Rule 87) Provided that, when a government servant dies during the treatment of his illness and the medical leave is otherwise due to such government servant	(ii) Under this rule leave upto sixty days may be granted by the competent authority on recommendation of the authorized medical authority. Leave exceeding this period may not be granted unless the competent authority is satisfied that there is a reasonable probability that the government servant will be fit to return to duty on the expiry of the leave applied for. (See also Subsidiary Rule-87) Provided that when a government servant dies during the treatment of

3/-

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

in rule 81-B, in sub-rule (2), for clause (ii) set out in Column-1 below, the clause as set out in column-2 shall be substituted, namely -

Column-1	Column-2
Existing clause	Clause as hereby substituted
(ii) No leave may be granted under this rules, unless the authority competent to sanction leave is satisfied that there is a reasonable probability that the government servant will be fit to return to duty on the expiry of the leave applied for. (See also Subsidiary Rule 87) Provided that, when a government servant dies during the treatment of his illness and the medical leave is otherwise due to such government servant	(ii) Under this rule leave upto sixty days may be granted by the competent authority on recommendation of the authorized medical authority. Leave exceeding this period may not be granted unless the competent authority is satisfied that there is a reasonable probability that the government servant will be fit to return to duty on the expiry of the leave applied for. (See also Subsidiary Rule-87) Provided that when a government servant dies during the treatment of

3/-

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

Column-1	Column-2
the authority competent to grant leave, shall sanction the medical leave.	his illness and the medical leave is otherwise due to such government servant, the authority competent to grant leave shall sanction the medical leave.

By Order,

(Nripendra Misra)

Principal Secretary

No.G-4-525(i)/X-96-201/76 of dated

Copy forwarded for information and necessary action to the following-

1- Accountant General (Audit/Account I and II) Uttar Pradesh, Allahabad.

2- All heads of departments and Principal Heads of Offices, Uttar Pradesh.

3- All Finance Controllers/Senior most Officers in the Accounts Wing.

4- All sections of the Secretariat.

5- Secretary, Assembly/Council, Uttar Pradesh LKO.

6- Director, Printing and Stationery Uttar Pradesh Allahabad with the request that the notification may please be printed in the next issue of State Gazette.

By Order,

(Shiv Prakash)

Joint Secretary

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-4- 851 /दस-98-202-70

प्रेषक,

गिरि प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 12 नवम्बर, 1998

विषयः- अवकाश नकदीकरण की धनराशि को सरकारी सेवकों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाना।

महोदय,

कार्यालय ज्ञाप सामान्य -4-1905/दस-81-202-70, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 तथा उक्त विषय पर समय-समय पर जारी शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार के सेवारत सरकारी सेवकों को प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में उनके मूल वेतन के अनुसार 30/15 दिन का नकदीकरण अनुमन्य है, जिसका भुगतान कर्मचारी को नकद किया जाता है।

2- उक्त विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक श्रेणी के सरकारी सेवकों जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, के नकदीकरण का भुगतान नकद न करके सम्पूर्ण धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी।

3- यदि कोई सरकारी सेवक भविष्य निधि का सदस्य नहीं बन पाया है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद ही दी जायेगी।

4- उल्लेखनीय है कि जो सरकारी सेवक अधिवर्षिता की आयु पर दिनांक 30 अप्रैल, 1999 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों उनके नकदीकरण की धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

उक्त व्यवस्था शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

भवदीय,

(गिरि प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

-2-

Mark Sheet
पेंशन कलाम
अवकाश नकदीकरण
की सुविधा — 2/12/98
अब केवल दुर्घटना
वर्गीकृत श्रेणी
को मिलेगी —
Class I & II को
नहीं क्योंकि वे
अ.भा. सेवा नहीं
हैं।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-4-851 ।।।/दस-98-202-70 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) । एवं ।। तथा (आडिट) । एवं ।।, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- सचिव, विधान सभा/परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- रजिस्टार, हाई कोर्ट, इलाहाबाद।
5- सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
संयुक्त सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4
संख्या–सा–4—394/दस–99–216/79
लखनऊ : दिनांक 4 जून, 1999

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :–प्रसूति अवकाश की सीमा में वृद्धि।

उपर्युक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–2, भाग–2–4 के सहायक नियम–153 (1) के अनुसार महिला सरकारी सेवक को, चाहे वह स्थाई हो अथवा अस्थाई, प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की अवधि अवकाश के प्रारम्भ होने के दिनांक से तीन माह तक हो सकती है तथा ऐसा अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान जिसके अन्तर्गत अस्थायी सेवा भी है, तीन बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जा सकता है।

2—वेतन समिति 1998 के सातवें प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय सहर्ष यह आदेश प्रदान करते हैं कि उक्त नियम के अन्तर्गत प्रसवावस्था के मामलों में प्रसूति अवकाश की अवधि अवकाश के प्रारम्भ होने के दिनांक से 135 दिन तक हो सकती है तथा ऐसा अवकाश सम्पूर्ण सेवा के दौरान किसी भी दशा में जिसके अन्तर्गत अस्थाई सेवा भी है, दो बार से अधिक स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

3—उक्त नियम की अन्य शर्तें यथावत् प्रभावी रहेंगी।

4—उपर्युक्त आदेश दिनांक 1 जून, 1999 से प्रभावी होंगे।

5—संगत अवकाश नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किया जावेगा।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

मु० हलीम खाँ,
सचिव।

संख्या–सा–4—394 (1)/दस–99–216/79–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
2—महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।
3—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
6—वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण) अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 31 सा० वित्त—17-6-99—(424)—10,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–4-851/दस–98–202–70

प्रेषक,

शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 12 नवम्बर, 1998।

विषय :—अवकाश नकदीकरण की धनराशि को सरकारी सेवकों के भविष्य निधि खाते में जमा किया जाना।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–4

कार्यालय ज्ञाप सामान्य–4-1905/दस–81–202–70, दिनांक 30 अक्टूबर, 1981 तथा उक्त विषय पर समय-समय पर जारी शासनादेशों में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्य सरकार के सेवारत सरकारी सेवकों को प्रत्येक कैलेन्डर वर्ष में उनके मूल वेतन के अनुसार 30/15 दिन का नकदीकरण अनुमन्य है, जिसका भुगतान कर्मचारी को नकद किया जाता है।

2—उक्त विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रत्येक श्रेणी के सरकारी सेवकों जिन्हें उक्त सुविधा अनुमन्य है, के नकदीकरण का भुगतान नकद न करके सम्पूर्ण धनराशि उनके भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी।

3—यदि कोई सरकारी सेवक भविष्य निधि का सदस्य नहीं बन पाया है तो उसे उक्त धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दे दी जायेगी।

4—उल्लेखनीय है कि जो सरकारी सेवक अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 अप्रैल, 1999 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों उनके नकदीकरण की धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

उक्त व्यवस्था शासनादेश के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

भवदीय,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

संख्या सा–4-851(1)/दस–98–202–70 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) I एवं II तथा (आडिट) I एवं II, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2—समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3—सचिव, विधान सभा/परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4—रजिस्ट्रार, हाई कोर्ट, इलाहाबाद।
5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 117 सा० वित्त 19-11-98 (1652) 10,000 कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या सा–4–871/दस–1999

लखनऊ, दिनांक 25 मार्च, 2000

विषय—अवकाश अवधि में भत्तों की देयता।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–87 (ए) में यह व्यवस्था है कि सरकारी सेवक वेतनमान में प्रत्यावर्तन के समय अवकाश की स्थिति को छोड़कर अर्जित अवकाश अथवा चिकित्सा प्रमाण-पत्र पर अवकाश पर जाता है तो उसके द्वारा अवकाश पर जाने के ठीक पूर्व आहरित वेतन के समतुल्य दरों पर वेतन अनुमन्य होगा। अवकाश अवधि में प्रतिकर भत्तों के भुगतान के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम–93 तथा सहायक नियम–(1) 147, 149, 150, 152 में यह व्यवस्था दी गई है। शासन में इस आशय के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं कि अवकाश अवधि में विशेष वेतन तथा अन्य भत्तों (प्रतिकर भत्तों को छोड़कर) का भुगतान किस सीमा तक अनुमन्य है।

2—इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करते हुए अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सामान्यतः जो विशेष वेतन अथवा भत्ते किसी कार्य विशेष को करने के कारण देय होते हैं उन्हे अवकाश अवधि में दिये जाने का औचित्य नहीं है, परन्तु जो विशेष वेतन/भत्ते वैयक्तिक योग्यता के आधार पर देय होते हैं वे सवेतन अवकाश अवधि में दिये जाने चाहिए, यथा स्नातकोत्तर भत्ता, परिवार कल्याण भत्ता, वैयक्तिक योग्यता भत्ता। इन विशेष वेतन तथा अन्य भत्तों का भुगतान अवकाश अवधि में अधिकतम 120 दिन की सीमा के अन्तर्गत ही अनुमन्य होगा, अर्थात् 120 दिन से अधिक के सवेतन अवकाश के प्रकरणों में यह भत्ते 120 दिन तक ही अनुमन्य होंगे।

3—ये आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

संख्या सा–4–871 (1)/दस–1999, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
2—समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
3—महालेखाकार आडिट/लेखा, प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4—सचिव विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
5—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०--ए०पी० 9 सा० वित्त–10–4–2000--(93)--2000--10,000 (मेक०)।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

संख्या-सा-2-1-4-अनु0आई0-6/दस-2001-
604/82

प्रेषक,

श्री वी0 के0 शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

वित्त(सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 30 मई, 2001

विषय: अवकाश यात्रा सुविधा को दो वर्ष के लिए निलम्बित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के नियमित पूर्णकालिक सरकारी सेवकों को 05 वर्ष के निरन्तर सेवा पूर्ण करने के उपरान्त कैलेन्डर वर्ष के आधार पर अवकाश के दौरान भारत में स्थित किसी स्थान के भ्रमण हेतु जाने तथा वापस आने के संबंध में सरकारी सेवकों तथा उनके परिवार के सदस्यों द्वारा की गयी यात्राओं के लिए कतिपय शर्तों के अधीन यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा अनुमन्य की गयी थी । राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए राज्याधीन सेवकों के लिए उक्त अवकाश यात्रा सुविधा को दो वर्ष की अवधि के लिए तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किए जाने का निर्णय लिया गया है । तदनुसार श्री राज्यपाल महोदय शासनादेश संख्या-सा-4-62/दस-96-604/82, दिनांक 18 मार्च 1996 द्वारा प्रदेश में लागू की गयी सरकारी सेवकों की अवकाश यात्रा सुविधा की योजना को इस शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निलम्बित किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

1.1. ऐसे कर्मचारियों को, जिनकी सेवा निवृत्ति में अवकाश यात्रा सुविधा निलम्बित किए जाने संबंधी शासनादेश निर्गत होने की दिनांक को

...2/--

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

02 वर्ष से कम का समय रह गया है तथा उन्होंने ब्लाक अवधि में अवकाश यात्रा सुविधा का उपयोग नहीं किया है, पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा ।

12. ऐसे कर्मचारी जिनके द्वारा आदेश जारी होने के पूर्व अवकाश यात्रा प्रारम्भ की जा चुकी है वह अपनी वापसी की यात्रा नियमानुसार पूर्ण कर सकेंगे ।

13. जिन कर्मचारियों द्वारा टिकट बुक कराये जा चुके हैं उन्हें निरस्त कराते हुए इस पर होने वाली क्षतिपूर्ति संबंधित विभागों द्वारा कर्मचारी को कर दी जायेगी तथा यदि कोई अग्रिम दिया गया है तो उसे बिना किसी दण्ड ब्याज के वापस तुरन्त जमा करा लिया जायगा ।

14. जहाँ तक प्रदेश सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों का संबंध है वह अवकाश यात्रा सुविधा के संबंध में भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों से शासित होते हैं। इस विषय में भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-31011/3/2001-इस्टा०ए०, दिनांक 02 मार्च, 2001 द्वारा आदेश निर्गत किए गये हैं । अतः इन राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को अनुमन्य अवकाश यात्रा सुविधा के संबंध में भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञाप द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध इस संबंध में शासनादेश के लागू होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेंगे ।

15. अवकाश यात्रा सुविधा के निलम्बन आदेश प्रदेश सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सरकार द्वारा आंशिक या पूर्णरूप से वित्त पोषित संस्थाओं पर भी लागू होंगे ।

भवदीय,

(वी० के० शर्मा)
सचिव

...3/--

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

संख्या-सा-121-सा-4-जी0आई0-6/दस-2001-604/82, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1. महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. महालेखाकार, द्वितीय उ0प्र0, लखनऊ ।
3. सचिव, विधान सभा/परिषद, विधान भवन, लखनऊ ।
4. निदेशक, वित्तीय एवं प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ ।
5. शासन के समस्त विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव ।
6. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7. समस्त मुख्य कोषाधिकारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0 ।
8. उ0प्र0 के समस्त विभागाध्यक्षों के यहाँ तैनात वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारीगण ।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
विशेष सचिव ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-4-100/दस-2001

प्रेषक,

श्री वी० के० शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 16 फरवरी, 2001

विषयः– उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम–2000 के अन्तर्गत उत्तरांचल राज्य के गठन के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल राज्य से सेवानिवृत्त होने पर गृह जनपद हेतु यात्रा भत्ता के भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-4

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तरांचल राज्य को अन्तिम रूप से आवंटित न हुए, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों की जो उत्तरांचल राज्य में कार्यरत रहते हुए सेवानिवृत्त होते हैं तो सेवानिवृत्ति के मामलों में गृह जनपद की यात्रा हेतु यात्रा भत्ता के स्वीकर्ता अधिकारी वही बने रहेंगे जो दिनांक 8-11-2000 तक थे और ऐसे दावे का नियमानुसार भुगतान प्रथमतः उत्तरांचल राज्य द्वारा किया जायेगा तथा जनसंख्या के आधार पर व्यय का प्रभाजन करते हुए उत्तरांचल राज्य को प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। दिनांक 8-11-2000 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के यात्रा भत्ता के अवशेष भुगतानों की प्रक्रिया भी दिनांक 30-9-2001 तक वही बनी रहेगी जो पूर्व में थी किन्तु संबंधित स्वीकर्ता व भुगतानकर्ता अधिकारी नियमानुसार कार्य हेतु उ० प्र० सरकार के प्रति उत्तरदायी बने रहेंगे तथा उत्तरांचल राज्य किसी अनियमितता के संबंध में उनके विरुद्ध उ० प्र० राज्य सरकार की संस्तुति के अनुरूप कार्यवाही करेगी।

2–इसी प्रकार के आदेश उत्तरांचल राज्य द्वारा भी जारी किया जाना अपेक्षित है।

भवदीय,

विजय कुमार शर्मा,
सचिव।

संख्या सा–4–100 (1)/दस–2001 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–मुख्य सचिव, उत्तरांचल राज्य, देहरादून।
2–निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3–महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4–समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5–वित्त विभाग के समस्त अधिकारी।
6–सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7–विधानसभा/विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
8–राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9–निदेशक, वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
विशेष सचिव।

पी० एस०-यू० पी०–ए० पी०–163 सा० वित्त–01.03.2001–(7211)–10,000–(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

3—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।

4—निदेशक, वित्तीय एवं प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।

5—शासन के समस्त विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव।

6—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

7—समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

8—उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्षों के यहां तैनात वित्त एवं लेखा सेवा के वरिष्ठतम अधिकारीगण।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 76 सा० वित्त- 23-9-2000 (1382)- 8,000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

संख्या–सा–4—632/दस–2000–604/82 टी०सी०

प्रेषक,

श्री वी० के० शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

विषय :–सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा की स्वीकृति।

लखनऊ दिनांक : 5 सितम्बर, 2000

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग–4

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–सा–4–670/दस—99–604/82 टी०सी०, दिनांक 11 जनवरी, 2000 के संशोधित प्रस्तर–1 में यह व्यवस्था है कि अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत सड़क यात्रा निवास स्थान से (यदि निवास स्थान रेलवे स्टेशन से न जुड़ा हो) निकटतम रेल हेड तक। तत्पश्चात् रेलमार्ग से गन्तव्य स्थान तक तथा यदि गन्तव्य स्थान रेल मार्ग से न जुड़ा हो तो गन्तव्य स्थान के निकटतम रेल हेड से गन्तव्य स्थान तक सड़क मार्ग यात्रा अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से की गई यात्रा अनुमन्य नहीं होगी। उक्त व्यवस्था के बाद भी ऐसे स्थानों के लिए अवकाश यात्रा सुविधा दिये जाने के प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं जो रेल/सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं तथा जिनकी यात्रा जलयान अथवा वायुयान द्वारा ही की जा सकती है। इस संबंध में पुनः यह स्पष्ट किया जाता है कि अवकाश यात्रा सुविधा हेतु किसी भी स्थान के लिए वायुयान अथवा जलमार्ग से यात्रा की अनुमति नहीं होगी।

2—इस संबंध में मुझसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निर्धारित स्थान की यात्रा करने के पश्चात् कर्मचारी को अवकाश यात्रा उपभोग करने से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी अवकाश यात्रा सुविधा में कन्याकुमारी जाता है तो उसे कन्याकुमारी के किसी होटल, लांज, रेस्ट्रां, टैक्सी अथवा स्थानीय ट्रेवेल एजेन्सी की रसीद अथवा तमिलनाडु परिवहन निगम की बस की टिकट (मूलरूप) में प्रस्तुत करना होगा।

3—इस सीमा तक पूर्व शासनादेशों को संशोधित माना जाएगा।

4—यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

भवदीय,
वी० के० शर्मा,
सचिव।

संख्या–सा–4—632 (1)/दस–2000–604/82 टी०सी०–तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद।

2—महालेखाकार, द्वितीय, उ० प्र०, लखनऊ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

संख्या–सा–4–578 (1)/दस–2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
2—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3—सचिवालय के समस्त सचिव/विशेष सचिव।
4—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, लखनऊ।
5—निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
6—सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 70 सा० वित्त—28-8-2000—(1214)—8,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या–सा–4–578/दस–2000

लखनऊ : दिनांक 4 अगस्त, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :–वेतन समिति उ० प्र० 1997 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के फलस्वरूप यात्रा भत्ता की दरों के पुनरीक्षण के पश्चात् उठायी गई शंकाओं/प्रश्नों के संबंध में स्पष्टीकरण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति उ० प्र० 1997 की संस्तुतियों पर शासन द्वारा लिये गये निर्णय के फलस्वरूप यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण वित्त (सामान्य) अनुभाग–4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–4–395/दस–99–600–99, दिनांक 11 जून, 1999 द्वारा किया गया है। इस कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के पूर्व से कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–4–73/दस–89–603/88, दिनांक 4 मार्च, 1989 द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं भी सरकारी सेवकों को अनुमन्य थीं :–

1––"क" वर्ग के नगरों से भिन्न प्रदेश के अन्य पर्वतीय स्थानों में यात्रा करने वाले शासकीय सेवक साधारण दर पर अनुमन्य दैनिक भत्ता के ऊपर 25 प्रतिशत की वृद्धि पाने के हकदार होंगे परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा भत्ता नियमों के अधीन अन्यथा अनुमन्य हो।

2––प्रदेश के पर्वतीय स्थानों में यात्रा करने वाले सरकारी सेवक अनुमन्य रोड किलोमीटर भत्ता की दरों में 33–1/3 प्रतिशत की वृद्धि पाने के हकदार होंगे।

3––जब पी० ए० सी०/पुलिस दल के सदस्य विशेष अभियान के संदर्भ में वास्तविक भिड़न्त इत्यादि के लिए अपने अस्थायी पड़ाव (बेस कैम्प) से क्षेत्र में जायें, जैसे एन्टी डक्वायटी अभियान में बेस कैम्प से बीहड़ क्षेत्र में डकैतों का पीछा करते हुए जायें, तो उन्हें उस अवधि के लिए नियमानुसार अनुमन्य दैनिक भत्ता की दर से दुगुनी दर पर दैनिक भत्ता ग्राह्य होगा।

4––महालेखाकार कार्यालय इलाहाबाद/लखनऊ तथा उच्च न्यायालय इलाहाबाद/लखनऊ के लिए सरकारी दौरे पर जाने वाले सरकारी सेवकों को नियमानुसार अनुमन्य दैनिक भत्ते के अलावा प्रतिदिन 10 रुपये की धनराशि अतिरिक्त दैनिक भत्ते के रूप में अनुमन्य है।

उक्त संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11 जून, 1999 के जारी होने के पश्चात् शासन को कतिपय संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिसमें यह जिज्ञासायें की गयी हैं कि क्या कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–4–395/दस–99, दिनांक 11 जून, 1999 द्वारा यात्रा भत्ता की दरों के पुनरीक्षण के फलस्वरूप उक्त सुविधायें समाप्त हो गई हैं क्योंकि उक्त कार्यालय ज्ञाप में इन सुविधाओं को जारी रखने या समाप्त करने के संबंध में कोई निर्देश निहित नहीं है।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त सभी सुविधायें पूर्व की भांति सरकारी सेवकों को यथावत् अनुमन्य रहेंगी।

शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

6- वाहन भत्ते के सम्बन्ध में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-82 तथा शासन द्वारा वाहन भत्ते की अनुमन्यता हेतु समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों को तद्नुसार उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। उनमें निहित समस्त अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

7- उक्त वाहन भत्ते को अब से "वाहन व्यय प्रतिपूर्ति भत्ता" नाम से जाना जायेगा।

8- ये आदेश इस कार्यालय ज्ञाप के निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

वी0 के0 शर्मा,
सचिव।

संख्या-सा-4-229(1)/दस-2000-626/2000, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(3) सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय एवं प्रबन्ध प्रशिक्षण शोध संस्थान, लखनऊ।
(5) शासन के समस्त विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव।
(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(7) प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी।
(8) वित्त (पद मापदण्ड निर्धारण) अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

संख्या-सा-4-229(11)/दस-2000-626/2000, दिनांक 16 मार्च, 2000

उपर्युक्त की प्रतिलिपि समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0-ए0पी0 16 सा0 वित्त-19-4-2000-(205)-8,000-(आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (सामान्य) अनुभाग-4
संख्या-सा-4-229/दस-2000-626-2000
लखनऊ, दिनांक 10 मार्च, 2000

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :--उत्तर प्रदेश, वेतन समिति (1997) की संस्तुतियों के अनुसार वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को अपने विभिन्न प्रकार के वाहनों को संतोषजनक और चालू स्थिति में रखते हुये सरकारी कार्य के हित में मुख्यालय पर की जाने वाली यात्राओं में उपयोग करने हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के नियम-82 के अधीन अनुमन्य वाहन भत्ते की दरों का निर्धारण अंतिम बार कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-4-1488/दस-88-626/79, दिनांक 31 अक्टूबर, 1988 द्वारा किया गया था। इस सम्बन्ध में वेतन समिति 1997-99 द्वारा की गयी संस्तुतियों पर विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय निम्न स्तम्भ-3 में उल्लिखित वर्तमान दरों के स्थान पर स्तम्भ-4 में उल्लिखित दर से वाहन भत्ता पुनरीक्षित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्रम-सं0	वाहन का नाम	वाहन भत्ते की वर्तमान दरें रुपये प्रतिमाह	वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दरें रुपये प्रतिमाह
1	2	3	4
1	मोटरकार (जहां औसत स्थानीय यात्रा 400 कि0 मी0 प्रतिमाह से अधिक होती है)	300	800
2	मोटर साइकिल/स्कूटर	120	350
3	मोपेड	50	150
4	साइकिल	20	50

2- यदि किसी मामलें में उक्त स्तम्भ-4 में अंकित दरों से ऊंची दर पर वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया हो तो उसे भी उपर्युक्त पुनरीक्षित दर पर ही वाहन भत्ता अनुमन्य होगा।

3- वाहन भत्ते की उक्त दरें केवल ऐसे मामलों में ही प्रभावी हैं, जिनमें सरकारी कार्य के हित में की जाने वाली यात्राओं हेतु उपरोक्त वाहनों को संतोषजनक स्थिति में रखे जाने की शर्त के अधीन वाहन भत्ता स्वीकृत किया गया हो।

4- पी0एम0ए0एस0 तथा दन्त चिकित्सा सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों को वाहन भत्ता उनके सामान्य कार्य के घण्टों के अतिरिक्त माह में कम से कम 25 विजिट पर ही अनुमन्य होगा और इस हेतु इन सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों, जिन्हें यह भत्ता अनुमन्य कराया जाय, उनकी अतिरिक्त विजिट का निर्धारित प्रारूप रजिस्टर में तिथिवार दर्ज किया जाय। वाहन भत्ता का भुगतान अगले उच्च अधिकारी द्वारा न्यूनतम अतिरिक्त विजिट पूरे होने के प्रमाण-पत्र दिये जाने के बाद ही किया जाय।

5- वाहन भत्ते की उक्त दरें उन सरकारी सेवकों को अपनी कोटि के अनुसार अनुमन्य होंगी जिन्हें वित्तीय नियम संग्रह की परिशिष्ट 6 या शासन के वित्त विभाग की सहमति से/द्वारा स्वयं निर्गत किये गये आदेशों के अधीन वाहन भत्ता ग्राह्य हो।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा-4-670 (1)/दस–99–604-82 टी०सी०, तद्दिनांक

प्रतिलिपिं निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—महालेखाकार, आडिट प्रथम एवं द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद ।

2—महालेखाकार, द्वितीय, उ० प्र०, लखनऊ।

3—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, विधान भवन, लखनऊ ।

4—निदेशक, वित्तीय एवं प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।

5—शासन के समस्त विशेष सचिव/सचिव/प्रमुख सचिव।

6—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

7—प्रदेश के समस्त कोषाधिकारी।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी०–149 सा० वित्त–28-1-2000– (1977)-2000—10,000—कम्प्यूटर/आफसेट।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

संख्या सा–4–670/दस–99-604-82 टी०सी०

प्रेषक,

श्रीं वी०के० शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 11 जनवरी, 2000

विषय : सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा की स्वीकृति।

महोदय,

वित्त (सामान्य)
अनुभाग-4

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी सेवकों को अवकाश यात्रा की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या सा–4–161/दस-98-604-82 दिनांक 28 फरवरी, 1998 के प्रस्तर (1) के निम्नांकित स्पष्टीकरण के स्थान पर उसके सामने अंकित स्पष्टीकरण को रखने के आदेश श्री राज्यपाल महोदय द्वारा दिये गये हैं :—

वर्तमान प्रस्तर (1)

(1) अवकाश यात्रा सुविधा निजी कार (जो कि स्वयं की हो) या उधार अथवा किराये पर ली गई है अथवा चार्टेड बस, वैन अथवा अन्य ऐसे वाहन से अनुमन्य नहीं है, जो कि निजी स्वामित्व के हों अथवा निजी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हों, किन्तु ऐसी परिवहन सेवाएं जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के पर्यटन विकास निगम, राज्य परिवहन निगम, या अन्य राज्य सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा संचालित की जाती हों, तो ऐसे वाहनों से यात्रा की जा सकती है।

अवकाश यात्रा निजी बस से उसी स्थिति में अनुमन्य होगी, जबकि ऐसे वाहन नियमित सेवा के रूप में निश्चित अन्तराल पर निर्धारित किराये पर एक स्थान से दूसरे स्थान हेतु राज्य सरकार के परिवहन विभाग के अनुमोदन से संचालित हों।

संशोधित प्रस्तर (1)

अवकाश यात्रा सुविधा निजी कार (जो कि स्वयं की हो) या उधार अथवा किराये पर ली गयी हो अथवा चार्टेड बस, वैन अथवा अन्य ऐसे वाहन से अनुमन्य नहीं हैं, जो कि निजी स्वामित्व के हों अथवा निजी संस्थाओं द्वारा संचालित किये जा रहे हों। अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत सड़क यात्रा निवास स्थान से (यदि निवास स्थान रेलवे स्टेशन से न जुड़ा हो) निकटतम रेल हेड तक। तत्पश्चात् रेल मार्ग से गन्तव्य स्थान तक तथा यदि गन्तव्य स्थान रेल मार्ग से न जुड़ा हुआ हो तो गन्तव्य स्थान के निकटतम रेल हेड से गन्तव्य स्थान तक सड़क मार्ग यात्रा अनुमन्य होगी। इसके अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से की गयी यात्रा अनुमन्य नहीं होगी। सड़क मार्ग यात्रा राज्य परिवहन निगम या परिवहन विभाग/ प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नियमित बस सेवा जो निश्चित अन्तराल पर निर्धारित किराये पर संचालित होती हो, अनुमन्य होगी।

2—रेल यात्रा पर अनुमन्य व्यय की प्रतिपूर्ति/भुगतान तभी किया जाएगा जब यह यात्रा पूर्व आरक्षण कराकर की जाएगी तथा इसका साक्ष्य उपलब्ध कराया जाएगा। इसी प्रकार उपरोक्तानुसार बस यात्रा पर अनुमन्य व्यय की प्रतिपूर्ति/ भुगतान आवश्यक साक्ष्य उपलब्ध कराने पर ही की जाएगी।

3—इस सीमा तक पूर्व शासनादेशों को संशोधित माना जाएगा।

4—यह आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

भवदीय,
वी०के० शर्मा,
सचिव ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4

संख्या सा-4-554/दस-99-600/99

लखनऊ, दिनांक 30 जुलाई, 1999

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :—यात्रा भत्ता की गणना हेतु वेतन का अभिप्राय ।

यात्रा भत्ता विषयक कार्यालय ज्ञाप-संख्या संख्या सा- 4-395/दस- 99-600/99, दिनांक 11 जून, 1999 के संदर्भ में यह प्रश्न उठाया गया है कि यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ "वेतन" का अभिप्राय क्या है ? इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु वेतन का अभिप्राय निम्नवत् होगा :—

"वेतन का तात्पर्य दिनांक 1-1-96 से संशोधित वेतनमान में उस मूल वेतन से है जो वित्त (पदमापदण्ड निर्धारण) अनुभाग के शासनादेश संख्या प0मा0नि0-357/दस-21 (एम)/87; दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के अनुसार वेतन निर्धारण के उपरान्त यात्रा की तिथि को अनुमन्य हो; किन्तु नये वेतनमान में ही नियुक्ति होने की दशा में इसका तात्पर्य यात्रा की तिथि को अनुमन्य मूल वेतन से ही होगा अर्थात् उस वेतन से होगा जो मूल नियम-9 (21) (1) में अनुमन्य हो ।"

2—उक्त व्यवस्था को कार्यालय-ज्ञाप संख्या सा-4-395/दस-99-600/99, दिनांक 11 जून, 1999 के प्रस्तर-2 के प्रारम्भ में सम्मिलित माना जायेगा ।

3—कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 11-6-99 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

मु0 हलीम खां,
सचिव ।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

संख्या सा-4-554(1)/दस-99-600/99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1—महालेखाकार, उ0 प्र0, लेखा-प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद ।
2—महालेखाकार, उ0 प्र0, आडिट, प्रथम व द्वितीय, इलाहाबाद ।
3—सचिवालय के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव ।
4—सचिव, विधान सभा/परिषद्, विधान भवन, लखनऊ ।
5—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ ।
6—सचिवालय के समस्त अनुभाग ।
7—वित्त (पदमापदण्ड निर्धारण) अनुभाग ।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव ।

बी0एस0पी0प्रो0—ए0पी0 70 सा0 वित्त—27-8-99—(977)—1999—10,000 (मेक0) ।

CC-0. Agamnigam Digital Presevation Foundation, Chandigarh

(ब) एकमुश्त स्थानान्तरण अनुदान (कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट)—

कम्पोजिट ट्रांन्सफर ग्रान्ट प्रदेश के शासकीय सेवकों को एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण हाने की दशा में देय होगा तथा इसमें अब तक मिल रहे पैकिंग भत्ता, आवास से रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के लिए सड़क मील भत्ता एवं सरकारी सेवकों तथा उसके परिवार के सदस्यों को स्थानान्तरण पर यात्रा की दशा में मिलने वाले आनुषंगिक व्यय को समाहित माना जायेगा अर्थात् कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट अनुमन्य होने पर अब उपरोक्त भत्ते देय नहीं होंगे।

एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण होने की दशा में कम्पोजिट ट्रांसफर ग्रान्ट के रूप में सम्बन्धित सरकारी सेवक को आधे माह के मूल वैतन अधिकतम रु० 10,000/- की सीमा के अधीन धनराशि अनुमन्य होगी।

जिले के अन्तर्गत एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण की स्थिति में कम्पोजिट ट्रान्सफर ग्रान्ट के स्थान पर निम्नानुसार पैकिंग भत्ता अनुमन्य होगा :—

क्रम-संख्या	वेतन सीमा	पैकिंग भत्ते की दर (रु० में)
1	रु० 6500 प्रतिमाह या इससे अधिक मूल वेतन पाने वाले	500.00
2	रु० 6499 प्रतिमाह तक मूल वेतन पाने वाले	250.00

स्थानान्तरण यात्रा सम्बन्धी व्यय को सीमिति रखने के उद्देश्य से पत्रावलियों के माध्यम से स्थानान्तरण के जो प्रस्ताव उच्चाधिकारियों/मा० मंत्रिगणों के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत हों, उनमें यह अनिवार्य रूप से अंकित किया जाय कि चालू वित्तीय वर्ष में स्थानान्तरण यात्रा भत्ता के रूप में विभाग में कुल कितनो धनराशि उक्त मद पर देय हो चुकी है और कितनी धनराशि की देयता सृजित हो रही है।

2—ऐसे सरकारी कर्मचारियों को जिनके वेतनमान पुनरीक्षित नहीं हुए हैं/किये गये हैं अथवा जो वर्तमान वेतनमान बनाये रखने का विकल्प प्रस्तुत करते हैं, यात्रा भत्ता की उपरोक्त विभिन्न संशोधित पुनरीक्षित दरों की अनुमन्यता के लिए उनके वेतन स्तर के निर्धारण हेतु "वेतन" का तात्पर्य मूल वेतन के अतिरिक्त दिनांक 1-1-1996 को शासनादेश संख्या वे०आ०–1–297/दस-48 (एम)/88, दिनांक 21-5-96 के अनुसार देय मंहगाई भत्ता और शासनादेश संख्या–वे०आ०-1-2043/दस-93-39 (एम)/93, दिनांक 14-10-1993 तथा शासनादेश संख्या–वे०आ०-1–624/दस-39 (एम)/93 टी०सी०, दिनांक 16-8-1995 के अनुसार देय अन्तिरिम सहायता क्रमशः 100 रुपये प्रतिमाह की प्रथम किस्त तथा वेतन का 10 प्रतिशत परन्तु कम से कम 100 रुपये प्रतिमाह की द्वितीय किश्त का योग होगा।

3—यह आदेश दिनांक 1 जून, 1999 से प्रभावी होंगे अर्थात् उन सभी यात्राओं के सम्भन्ध में लागू होंगे जोकि उक्त तिथि को या उसके पश्चात् प्रारम्भ हुई हों परन्तु जिन मामलों में इन आदेशों के पूर्व प्रभावी नियमों/दरों के अधीन यात्रा भत्ता आहरित किया जा चुका होगा उन्हें पुनरोद्घाटित नहीं किया जायेगा।

4—वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-3 के सुसंगत नियमों में आवश्यक संशोधन यथासमय किये जायेंगे।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

मु० हलीम खां,
सचिव।

संख्या सा-4—395 (1)/दस-99–600-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित :—

1—महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, लेखा-प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
2—महालेखाकार, उ० प्र०, आडिट, प्रथम व द्वितीय, इलाहाबाद।
3—सचिवालय के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव।
4—सचिव, विधान सभा/परिषद्, विधान भवन, लखनऊ।
5—निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, लखनऊ।
6—सचिवालय के समस्त अनुभाग।
7—वित्त (पदमाप दण्ड निर्धारण) अनुभाग।

आज्ञा से,
शिव प्रकाश,
संयुक्त सचिव।

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 32 सा० वित्त–17-6-99—(425)—15,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

CC-0. Agamnigam Digital Preservation Foundation, Chandigarh

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सामान्य) अनुभाग–4

संख्या सा-4—395/दस–99–600-99
लखनऊः दिनांकः 11 जून, 1999

कार्यालय-ज्ञाप

विषय :–यात्रा भत्ता की दरों का पुनरीक्षण।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तर प्रदेश, 1998 के सातवें प्रतिवेदन पर लिये गये निर्णयानुसार राज्यपाल महोदय सरकारी सेवकों (अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए) को कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–4–1307/दस–88-600/88, दिनांक 23 सितम्बर, 1988 तथा इसके बाद समय-समय पर जारी शासनादेशों द्वारा स्वीकृत यात्रा भत्ता की दरों एवं व्यवस्था को निम्न प्रकार से पुनरीक्षित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1—यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवकों की अधिकृत श्रेणी :–

यात्रा भत्ता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवक अब नये वेतनमानों में वायुयान/रेल से यात्रा करने हेतु निम्न प्रकार से प्राधिकृत होंगे :–

क्र०-संख्या	वेतन सीमा	यात्रा की अधिकृत श्रेणी
1	2	3
1	रुपये 25000 या इससे अधिक प्रतिमाह वेतन पाने वाले।	वायुयान का एक्जीक्यूटिव क्लास
2	रुपये 18400 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	वायुयान अथवा रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास।
3	रुपये 16400 से 18399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	रेल का वातानुकूलित कोच (प्रथम श्रेणी) तथा 500 कि० मी० से अधिक की यात्रा पर वायुयान अथवा शताब्दी एक्सप्रेस का एक्जीक्यूटिव क्लास।
4	रुपये 8000 से 16399 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच (द्वितीय श्रेणी) 2—टियर अथवा शताब्दी एक्सप्रेस में वातानुकूलित चेयर कार।
5	रुपये 5000 से 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	रेल की प्रथम श्रेणी अथवा वातानुकूलित कोच 3—टियर/ए० सी० चेयरकार (शताब्दी एक्सप्रेस को छोड़कर)।
6	रुपये 5000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले	रेल की द्वितीय श्रेणी (स्लीपर)।

2—आनुषंगिक व्यय :–

(I) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3 के नियम—23 (1) के अन्तर्गत सरकारी सेवकों को वर्तमान में वेतनमान के आधार पर अनुमन्य आनुषंगिक व्यय नये वेतनमान में निम्न प्रकार अनुमन्य होगा :–

क्र०-संख्या	वेतन सीमा	आनुषंगिक व्यय की दर
1	2	3
1	रुपये 8000 प्रतिमाह या इससे अधिक वेतन पाने वाले।	11.0 पैसे प्रति कि० मी०
2	रुपये 5000 से रुपये 7999 प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले।	8.0 पैसे प्रति कि० मी०
3	रुपये 5000 प्रतिमाह से कम वेतन पाने वाले	5.0 पैसे प्रति कि० मी०

(II) हवाई यात्रा के दौरान आनुषंगिक व्यय की दरें रुपये 30 प्रति यात्रा की दर से अनुमन्य होगा।